न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 215/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रूगनाथराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी छीतर का पार हाल निवासी बाण्ड तालर तहसील बाटाड़ू जिला बाडमेर।		1 चैनाराम पुत्र मोटाराम 2 झीमो देवी पत्नी आईदानराम 3 वोहरसिंह 4 महेन्द्र कुमार 5 हरीशचन्द्र पिसरान आईदानराम जाति जाट निवासी लीलाला तहसील बाटाड़ू जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाटाड़ू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री उगराराम साहरण, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. श्री नरपत पूनड़, वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 04।

आदेश

दिनांक 13/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 688/269 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खेत मौजा छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 721/267 रकबा 1.6827 हैक्टेयर व खसरा संख्या 723/267 रकबा 2.2167 हैक्टेयर में से चल रहें सरकारी रास्ते तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है । इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थी, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे छीतर का पार से खानजी का तला जाने वाली डामर सड़क तक आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 04 के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 04 को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, इसके बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब का अवसर [illegible] तहसीलदार बायतु से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:20:21 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बायतु के पत्रांक राजस्व/2022/[illegible] दिनांक 16.08.2022 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थी को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 721/267 व 723/267 से होता हुआ रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 688/269 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद या अन्य कोई विवाद किसी न्यायालय में लम्बित नही होना प्रार्थी ने बताया गया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण नही है। खसरा संख्या 721/267 व 723/267 की प्रति हैक्टेयर डीएलसी दर 669079/– है प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की दूरी क्रमशः लम्बाई 187 मीटर होना से रकबा 374 मीटर + 374 वर्गमीटर के अनुसार डीएलसी दर के अनुसार राशि क्रमशः 25024 + 25024 का दुगुनी राशि क्रमशः 50048 + 50048 कुल राशि 100096 होती है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का कुल रकबा खसरा संख्या 721/267, 723/267 क्रमशः 374 वर्गमीटर + 374 वर्गमीटर कुल रकबा 0.0748 हैक्टेयर होता है। प्रार्थी द्वारा बताए अनुसार चाहा गया रास्ता 12 फीट चौड़ाई में रकबे का डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवाने पर उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। कटाण डामर सड़क तक खसरा संख्या 688/269 से खसरा संख्या 721/267, 723/267 तक जाने हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्तो के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नही है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 04 ने बहस कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 04 को तहसीलदार बायतु द्वारा सूचना नही दी गई केवल अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एकतरफा रिपोर्ट तैयार की गई है ना ही अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार बायतु को स्वंय मौका रिपोर्ट बनाने के आदेश के बावजूद अधिनस्थ कर्मचारियों से मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। मौका रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थिति होकर नही बनाई गई है। तहसीलदार बायतु से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:20:21 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तावित रास्ता अपूर्ण प्रतीत होता है। न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता जमाबंदी व नक्शे की रिपोर्ट से मिलान नही होने से तहसीलदार बाटाडू से पुनः रिपोर्ट तलब किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बाटाडू से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू के पत्रांक राजस्व/2025/167 दिनांक 17.04.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थी को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 790/721 व 723/267 से होता हुआ रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 688/269 तक पहुचाने हेतु मौका निरीक्षण किया गया। प्रार्थी को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोडने में न्यूनतम दूरी खसरा संख्या 790/721 व 723/267 की सीमा से होता हुआ प्रार्थी के खसरा संख्या 688/269 तक पंहुचता परन्तु उक्त दोनों खसरान की सीमा पर पानी डिंकी (पौण्ड) बना हुआ जिस कारण उक्त जगह से रास्ता उचित नही हो रहा। अतः उक्त (पौण्ड) पानी डिंकी को छोड़ने हुए खसरा नम्बर 790/721, 723/267 की सीमा पर होते हुए प्रार्थी के खसरा संख्या 688/269 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। पानी की डिंकी तक उक्त दोनों खसरा नम्बर 790/721 व 723/267 में 1–1 गट्ढा व पानी की डिंकी के बाद रास्ता खसरा नम्बर 723/267 में 2 गठ्ठा चौड़ाई रखते हुये प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर में तथा साथ ही रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया जाता है।

नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (गढ्ढों में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
2	3	4	5	6	7
चैनाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट	790/721	1.6422	72 गुणा 1.0	0.0292	73000/–
बोहरसिंह पुत्र आईदानराम जाति जाट जमाबंदी अनुसार	723/267	2.2167	72 गुणा 1.0 26 गुणा 2	0.0502	125500/–

आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु खसरा संख्या 790/721 का कुल रकबा 0.0292 हैक्टेयर व खसरा संख्या 723/267 का कुल रकबा 0.0502 हैक्टेयर बनता है। संलग्न नक्शा ट्रेस में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि को बंरग हरा से प्रदर्शित किया गया है। संलग्न नक्शा ट्रेस मौका फर्द का अभिन्न अंग रहेगा। वर्तमान पानी की डिकी (पौण्ड) का निर्माण किया हुआ है, जो रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करता मात्र लब्ध है तथा वर्तमान में बनी डिंकी का निर्माण उक्त वाद दायर करने के बाद किया हुआ प्रतीत होता है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाटाडू से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थी को अपने खसरान को जोड़ने के लिए डामर सड़क से जोड़ने के लिए न्यूनतम दूरी अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खसरा संख्या 790/721, 723/267 से होता हुआ रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 688/269 तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्तो के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 01 व 04 ने कथन किया है कि तहसीलदार स्वंय द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई है तथा न ही नोटिस जारी किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:20:21 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अतः वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 04 की आपति खारिज की जाती है। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या 790/721, 723/267 से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग ''हरा'' से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251-क के तहत ''प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है'' जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 688/269 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि से डामर सड़क तक पहुॅचने हेतु निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (गढ्ढों में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
2	3	4	5	6	7
चैनाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट	790/721	1.6422	72 गुणा 1.0	0.0292	73000/-
बोहरसिंह पुत्र आईदानराम जाति जाट जमाबंदी अनुसार	723/267	2.2167	72 गुणा 1.0 26 गुणा 2	0.0502	125500/-

तहसीलदार बाटाडू को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी दर दुगुनी राशि के प्रार्थी बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाटाडू राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 08.04.2025 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:20:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 13/06/2025 को इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर